

कार्यालय

पत्रांक: ०१ /न्याय सहायक/ कोरोना वायरस/ 2021

मा० जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 300 वजे कोविड-19 के थ्रेट लेविल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह(गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय के पत्र संख्या 2360/2020-सी०एक्स-३ दिनांक 26 नवम्बर, 2020 के द्वारा कन्टेनमेंट जोन की सीमा/परिधि निम्नवत् निर्धारित करते हुये गृह (गोपन), अनुभाग-3 उ०प्र०शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 2127/2020-सी०एक्स-३ दिनांक 03.10.2020 इस सीमा तक ही संशोधित किया गया है। शेष दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे।

- (1) कोरोना पॉजिटिव का सिंगल केस पाये जाने पर 50 मीटर की परिधि में कन्टेनमेंट जोन होगा।
- (2) एक से अधिक केस पाये जाने पर, कलस्टर की स्थिति में, कन्टेनमेंट जोन का दायरा 100 मीटर की परिधि का होगा।
- (3) यदि एक ही आवास में एक से अधिक संक्रिय केस पाये जाये तो उस दशा में उसे सिंगल केस मानकर ही कन्टेनमेंट जोन निर्धारित किया जाये।

गृह (गोपन), अनुभाग-3 के आदेश संख्या 2358/2020/सीएक्स-३ दिनांक 30 नवम्बर, 2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन के अन्दर निम्न कार्यवाहियों अनिवार्यतः की जाए-

- (a) केवल अति आवश्यक गतिविधियाँ ही अनुमन्य की जाए।
- (b) कन्टेनमेंट जोन के भीतर एवं बाहर चिकित्सकीय आपातकालीन सुविधाओं तथा आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की आपूर्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आवागमन को नियंत्रित करने हेतु सख्त मानक अपनाये जाए।
- (c) इस उद्देश्य हेतु गठित सर्विलान्स टीम द्वारा प्रत्येक मकान (House to house) की सघन निगरानी की जाय।
- (d) निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 की टेंसिंग की जाए।
- (e) कोविड-19 पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की सूची (कान्ट्रैक्ट ट्रैसिंग) तैयार की जाए तथा इनके चिन्हाकांक, ट्रैसिंग, क्वारेन्टाईन तथा 14 दिनों तक निरन्तर अनुश्रवण की कार्यवाही की जानी चाहिये (यथा संभव पॉजिटिव पाये जाने के 72 घण्टे की भीतर ही 80 प्रतिशत सम्पर्क चिन्हित कर लिये जाए)।
- (f) कोविड-19 मरीजों को तत्काल आइसोलेशन (यदि वो होम आइसोलेशन की शर्त पूर्ण करते हैं तो होम आइसोलेशन) करते हुये चिकित्सकीय उपचार प्रारम्भ कर दिया जाए।
- (g) आवश्यकतानुसार हॉस्पिटल में भर्ती कर उपचार किया जाए तथा उपचार की शतत निगरानी रखी जाए।
- (h) आई०एल०आई०/एस०ए०आर०आई० के प्रकरण में निरन्तर निगरानी रखते हुये स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध करायी जाए। बफर जोन में फीवर क्लीनिक अथवा मौबाईल चिकित्सा यूनिट को सक्रीय किये जाने पर विचार किया जाए।
- (i) कोविड-19 से संबंधित अनुमन्य गतिविधियों (आचरण) (Appropriate behaviour) के विषय में आम समुदाय को निरन्तर जागरूक किया जाए।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.ए०/सी-३४/2021 दिनांक 01.01.2021 में अवगत कराया गया है कि "प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण लागू लॉकडाउन को विगत काफी समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी बस स्टैण्डों, सब्जी मंडियों, साप्ताहिक बाजारों व स्थानीय बाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की सम्भावना बनी रहती है।"

महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 83 हॉट स्पॉट चिह्नित कर सील किये गये हैं, जिनमें 23-आवास विकास प्रथम (एच०एफ०एस/एस०एफ०एच०) नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, 89 शान्ति निकेतन नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० इन्दिरा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० कैलाशपुरी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, प्रीत बिहार कालोनी नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, नया गांव चांदपुर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रामा एन्क्लेव, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, गिरधारी नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, कमला हॉस्पिटल के बराबर वाली गली, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, कै०पी० रोड, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० पटेल नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, रांझा रेडियम के पास, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० साठा, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मोतीवाग, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर, मौ० सूर्यो नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, शास्त्री नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० राधा नगर, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी० लॉक यमुनापुरा नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, सिविल लाईन, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, देवीपुरा द्वितीय, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, डी-८५, गंगानगर, नगरीय डी० बुलन्दशहर, मौ० शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र बुलन्दशहर, मौ० प्रेमनगर, नगरीय क्षेत्र, बुलन्दशहर वने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 60 हॉटस्पॉट-एन०ए०पी०एस०

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 01.01.2021

टाउनशिप नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, सीआईएसएफ कालौनी नगरीय क्षेत्र नरौरा, तहसील डिबाई, मौ० जाटवान, करखा व विखो० बी०बी०नगर, तहसील स्याना, लोको कालौनी, खुर्जा जंक्शन, विखो० व तहसील खुर्जा, दारा सिंह की मढ़ैया, करखा व विखो० बी०बी०नगर, तहसील स्याना, ग्राम सतोहा, विखो० व तहसील डिबाई, ग्राम धीमही, विखो० दानपुर, तहसील डिबाई, सराय करोड़ी, रानीवाला चौक, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम हुर्थला, विखो० व तहसील शिकारपुर, ग्राम जलालपुर, विखो० व तहसील शिकारपुर, ग्राम सरावा, विखो० व तहसील शिकारपुर, ग्राम हजरतपुर, विखो० व तहसील शिकारपुर, ग्राम सनौटा, विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम बराल, विखो० गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम खुशहालपुर, विखो० गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम कमालपुर, विखो० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सलगवै, विखो० व तहसील अनूपशहर, ग्राम डूँगरा जोगी, विखो० व तहसील अनूपशहर, ग्राम सिखैडा, विखो० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम चित्सौन, विखो० व तहसील शिकारपुर, ग्राम मौहम्मदपुर कलौं, विखो० व तहसील डिबाई, ग्राम बारौली वासदेवपुर, विखो० व तहसील स्याना, ग्राम जमालपुर, विखो० व तहसील खुर्जा, मौ० शिवपुरी, नगरीय क्षेत्र स्याना, ग्राम आकापुर टियाना, विखो० बी०बी०नगर, तहसील स्याना, ग्राम सूरजपुर मखैना, विखो० व तहसील डिबाई, ग्राम इछावरी, विखो० दानपुर, तहसील डिबाई, ग्राम बुढ़ाना, विखो० लखावठी, तहसील बुलन्दशहर, मौ० हीरा कालौनी, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम तिलबेगमपुर, विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम पिलखनी, विखो० ऊचागांव, तहसील स्याना, ग्राम लोहरा, विखो० व तहसील शिकारपुर, मौ० मण्डी हरदेव, नगरीय क्षेत्र डिबाई, मौ० खत्रीवाडा, नगरीय क्षेत्र सिकन्द्राबाद, ग्राम सालाबाद, विखो० पहासू तहसील शिकारपुर, आदर्श नगर, पटटी हजारी कस्बा विखो० व तहसील स्याना, ग्राम खनपुरा, विखो० जहांगीराबाद, तहसील अनूपशहर, ग्राम उटरावली, विखो० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम त्रिलोकपुर, विखो० व तहसील डिबाई, ग्राम तलवार, विखो० व तहसील डिबाई, ग्राम बैर, विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम ईसापुर, विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम सबदलपुर, विखो० दानपुर, तहसील डिबाई, टीचर्स कालौनी, कस्बा औरंगाबाद, तहसील बुलन्दशहर, मौ० गांधी गंज, नगरीय क्षेत्र गुलावठी, तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सैदमपुर, विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम शेखपुर माम, विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम जोखाबाद, विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम फजलपुर, विखो० पहासू तहसील शिकारपुर, ग्राम बरासऊ, विखो० व तहसील शिकारपुर, ग्राम ढकरौली, विखो० जहांगीराबाद, तहसील स्याना, ग्राम अकबरपुर, विखो० व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम फतहपुर मकरन्दपुर थाना ककोड विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद, गली न०-१, चन्दलोक कालौनी, नगरीय क्षेत्र खुर्जा, ग्राम सलेमपुर कायरथ, विखो० व तहसील सिकन्द्राबाद बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 01.01.2021 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-5973 है, 1402 व्यक्ति होम क्वारेनटाईन में है। जनपद में 91 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

उपरोक्त चरिस्थितियों में यदि वादकारियों के रूप में काफी लोग न्यायालय में पहुंचें तो माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में सक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है। आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एन.आई.वृ.सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक जनवरी ।, 2021

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत करना है कि प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण फैलने के कारण ताजे नॉर्मलाइज़ को विगत कार्फा समय से खोला जा चुका है। यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा नॉर्मलाइज़ के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु अभी भी वस स्टेटों, यज्ञो मर्टियों, माताहिंदू वाजारों व स्थानीय वाजारों में कुछ व्यक्तियों द्वारा मास्क न लागाने व गोशल डिस्ट्रिब्युशं का पालन न किये जाने आदि के कारण संक्रमण फैलने की संभावना बनी रहती है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को मास्क लागाने, गोशल डिस्ट्रिब्युशं का अनुसरत छने एवं समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध महिल आवश्यक कार्यवाही किया जाना सर्वोच्च देश

प्रभारी निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर